सं. 20/2/87-हिन्दी

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

****

अंसारी नगर, नई दिल्ली

दिनांकः 30.08.2019

अपील

प्रिय सहयोगियों,

भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। ***26 जनवरी, 1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ सरकार की राजभाषा हिन्दी एवं इसकी लिपि देवनागरी है।***

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप आज कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य करना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो गया है। सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करने के लिए यह आवश्यक है कि भाषा को सरल एवं सहज बनाया जाए ताकि यह सभी के लिए बोधगम्य हो तथा इसका प्रयोग बहु-आयामी हो सकें।

मैं, परिषद के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्राह करता हूँ कि वे अपने प्रभागों / अनुभागों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सार्थक एवं सतत् प्रयास करें। इसके अतिरिक्त मैं सभी केन्द्रों/संस्थानों के निदेशकों को भी सुझाव देता हूँ कि वे अपने कार्यालयों में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन करें।

मैं, अपील करता हूँ कि राजभाषा हिंदी से संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए, जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है। हम सभी को संविधान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए।

हिन्दी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम यह दृढ़ संकल्प लें कि हम सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपना अधिकाधिक कार्य पूरे उत्साह, लगन और गर्व के साथ राजभाषा हिन्दी में करेंगे। **मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक, सार्थक एवं सतत् प्रयासों** से हम अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे और परिषद में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग को नया आयाम देंगे।

बलराम भार्गव

(प्रो. एवं डॉ. बलराम भार्गव)
सचिव, डीएचआर एवं महानिदेशक,
आईसीएमआर

वितरणः

1. परिषद मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी 2. परिषद के सभी स्थाई संस्थान/केन्द्र
3. आईएसआरएम प्रभाग - परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु